रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938
No. 843] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि 1124(अ).— महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त संशोधित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

अनुसूची

कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये विनियम, कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे ।

   (ii) वे भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में, अनुसूची में, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद हेतु :-

(i) कॉलम सं -11 के तहत प्रविष्टियां, "**प्रतिनियुक्ति द्वारा**" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) कॉलम सं-12 के तहत प्रविष्टियां, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"महापत्तन न्यासों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यासों में रु. 20600-46500 (रु. 10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों में से और ऐसा न होने पर केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समान ग्रेड में कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।"

[मसिल सं: पीआर–12012/2/2011–पीई–I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रमुख विनियम , दिनांक 20.10.2009 को राजपत्र में सा.का.नि. 767(अ) के जरिए अधिसूचित किए गए थे। और तत्पश्चात सा.का.नि. 551(अ) दिनांक 07–07–2015 के अनुसार प्रकाशित।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

G.S.R. 1124(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Acts, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely :-

1. (i) These Regulations may be called as the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule, for the post of Deputy Chief Vigilance Officer -

(i) the entries under Column 11 shall be substituted by the words,

"By deputation"

(ii) the entries under Column 12 shall be substituted by the following:-

(iii) "Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.20600-46500 (Rs. 10750-16750 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Trusts failing which from officers of the Central Govt./ State Govt./PSUs/Autonomous Bodies with similar grade.

Preference will be given to the persons having experience in vigilance work.

The selection will be by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'."

[F. No. PR-12012/2/2011-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal regulations were published vide G.S.R. 767(E) dated 20/10/ 2009. Subsequent amendment vide GSR 551(E) dated 07/07/2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि 1125 (अ).— महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2011 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये विनियम, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।

   (ii) वे भारत के राजपत्र में महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2011 में, अनुसूची में, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद हेतु :-

   (i) कॉलम सं -11 के तहत प्रविष्टियां, "**प्रतिनियुक्ति द्वारा**" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   (ii) कॉलम सं-12 के तहत प्रविष्टियां, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

   "महापत्तन न्यासों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यासों में रु. 20600-46500 (रु. 10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों में से और ऐसा न होने पर केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समान ग्रेड में कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

   सतर्कता कार्य में अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी.

   चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा."

[मसिल सं: पीआर–12012/2/2011–पीई–I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रमुख विनियम , दिनांक 14.5.2011 को राजपत्र में सा0का0नि0 386 (असा0) के जरिए अधिसूचित किए गए थे। और तत्पश्चात जीएसआर 819(ई) दिनांक 30–10–2015 के अनुसार प्रकाशित।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

G.S.R. 1125(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Acts, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following Regulations to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely :-

1. (i) These Regulations may be called as the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule, for the post of Deputy Chief Vigilance Officer -

(i) the entries under Column 11 shall be substituted by the words,
"By deputation"

(ii) the entries under Column 12 shall be substituted by the following:-

(iii) "Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.20600-46500 (Rs. 10750-16750 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Trusts failing which from officers of the Central Govt./ State Govt./PSUs/Autonomous Bodies with similar grade**.**

Preference will be given to the persons having experience in vigilance work.

The selection will be by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'."

[F. No. PR-12012/2/2011-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note: (1) The pri`ncipal regulations were published vide G.S.R. 386(E) dated 14/5/ 2011. Subsequent amendment vide GSR 819(E) dated 30/10/2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.13 16:07:31 +05'30'